

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/90886/KHR/KHERI/615/CFO

दिनांक: 29-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SHRI RAJENDRA GIRI MEMORIAL ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 2424,2428, 2429, LAXMANJATI GOLA GOKARANNATH, gola तहसील - gola, प्लॉट एरिया 10250 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 2717.12 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 3 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
a	2	0	8.25 mt.
b	1	0	4.5 mt.
c	1	0	4.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SHRI RAJENDRA GIRI MEMORIAL ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 29-07-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री AMAN GIRI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 29-07-2023 से 28-07-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स SHRI RAJENDRA GIRI MEMORIAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स SHRI RAJENDRA GIRI MEMORIAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** शासनादेश संख्या 18 /छ:-पु-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022 के अनुसार सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है जिसका निस्तारण सत्ता प्राधिकारी द्वारा कराया जाना आवेदक का दायित्व होगा, तथा विद्युत विभाग से बिजली सुरक्षा (electricity safety) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा निकास मार्ग/अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता /कार्यशीलता बनाये रखना संबंधित का दायित्व होगा, अन्यथा प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"


निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-07-2023  
स्थान : KHERI

  
Manager  
Shri Rajendra Giri Memorial Academy  
Gola Gokaran Nath (KHERI) U.P.

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(AKSHAY RANJAN SHARMA)  
(BS059A971A0EC58A22283AE92E62B3AD6E98E1CD)  
29-07-2023

  
Principal  
Shri Rajendra Giri Memorial Academy  
Gola Gokaran Nath (KHERI) U.P.